

शबरी आदिवासी घरकुल योजनेअंतर्गत
सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरीता
ग्रामीण भागाकरीता घरकुलांचे उद्दिष्ट
निश्चित करण्याबाबत.

महाराष्ट्र शासन
आदिवासी विकास विभाग
शासन निर्णय क्रमांक: आविवि-०४२३/प्र.क्र.८१/का-८,
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग,
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२.
दिनांक : ०२ जून, २०२३

वाचा :-

१. आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. घरकुल-२०१२/ प्र.क्र.३८ (भाग-१)/का-१७, दि.२८.०३.२०१३
२. आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. घरकुल-२०१२/प्र.क्र. ३८/(भाग-१)/का-१७, दि.०७.०८.२०१४.
३. आदिवासी विकास विभाग,शासन निर्णय क्र. घरकुल-२०१५/प्र.क्र.२१०/का-१७,दि.०५.०१.२०१६
४. ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्र. इआयो-२०१५/प्र.क्र.४१३/योजना-१०, दि.१०.२.२०१६
५. आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.घरकुल-२०१६/प्र.क्र.३७/का-१७ दि.१५.०३.२०१६
६. आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. घरकुल-२०१६/प्र.क्र. ३७/का-१७, दि.२७.५.२०१६
७. ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्र. पीएमएवाय-जी-२०१६/प्र.क्र.३९/योजना-१०, दि. २७.५.२०१६
८. आदिवासी विकास विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्र. घरकुल-२०१६/प्र.क्र.३७/का-१७, दि.२८.०६.२०१६
९. आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. शघयो-२०१६/ प्र.क्र.३३६/का-१७, दि.०६.०१.२०१७
१०. आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. शघयो-२०१६/प्र.क्र.३३६/का-१७, दि.०७.०६.२०१७
- ११.आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. शघयो-२०१७/प्र.क्र.३२६/का-१७, दि.०३.११.२०१७
१२. आदिवासी विकास विभाग, शासन पत्र क्र. आविवि-२०१२/प्र.क्र.२०७/का-१७ दि.०६.१२.२०१९
१३. आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. घरकुल- २०१९/प्र.क्र.१५२/का-१७,दि.१७.०३.२०२०
१४. आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. घरकुल २०१९/प्र.क्र.१००/का-१७ ,दि.२१.१०.२०२२
१५. आदिवासी विकास विभाग, शासन पत्र क्र. आविवि-०३२३/प्र.क्र.५७/का-८, दि.२५.०४.२०२३

शासन निर्णय :-

आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या ज्या लोकांना राहण्यासाठी स्वतःची घरे नाहीत अथवा जे अनुसूचित जमातीचे लोक, कुडा मातीच्या घरात, झोपड्यांमध्ये किंवा तात्पुरत्या तयार केलेल्या निवारात राहतात अशा अनुसूचित जमातीतील पात्र लाभार्थ्यांना घरकुल उपलब्ध करून देण्यासाठी वैयक्तिक लाभाची शबरी आदिवासी घरकुल योजना राज्य शासनामार्फत राबविण्यात येत आहे. संबंधित प्रकल्प अधिकारी यांच्याकडून प्राप्त मागणीनुसार व सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षामधील उपलब्ध अर्थसंकल्पिय तरतूद लक्षात घेऊन सदर शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या परिशिष्टाप्रमाणे सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरीता जिल्हानिहाय ग्रामीण भागासाठी एकूण १,०७,०९९ उद्दिष्ट/लक्षांक निश्चित करण्यास खालील अटीचे पालन करण्याच्या अधिन राहून शासन मान्यता देण्यात येत आहे.

अटी

१. ग्रामीण क्षेत्रातील अनुसूचित जमातीच्या ज्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रु.१.२० लक्ष मर्यादित आहे, केवळ अशाच अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांना सदर योजनेचा लाभ देण्यात यावा.
 २. संदर्भ क्र. ११ येथील शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार सदर योजनेअंतर्गत लाभ देतांना वाचा येथील दि. २८.०३.२०१३ च्या शासन निर्णयान्वये निश्चित केलेल्या प्राधान्य क्रमाबरोबरच आदिम जमातीच्या व पारधी जमातीच्या लाभार्थ्यांना प्राधान्याने लाभ देण्यात यावा.
 ३. संदर्भ क्र.१३ येथील शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार सदर योजनेंतर्गत दिव्यांग लाभार्थ्यांना ५ टक्के आरक्षण ठेवण्यात यावे. यामध्ये दिव्यांग महिलांना प्राधान्य देण्यात यावे.
 ४. लाभार्थी निवड करताना लाभार्थ्यांची प्रत्यक्ष तपासणी (Physical Verification) करून पात्र लाभार्थ्यांची निवड करावी.
 ५. या व्यतिरिक्त संदर्भाधीन शासन निर्णयातील तरतूदींचे व याबाबत शासनाने वेळोवेळी विहित केलेल्या शासन नियमांचे व कार्यपध्दतीचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे.
 ६. आदिवासी उपयोजनेतर्गत आदिवासी क्षेत्रांतर्गत येणाऱ्या जिल्ह्यातील अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांसाठी तसेच आदिवासी बाह्य क्षेत्रातील अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांच्या मंजूरीचे अधिकार हे वाचा येथील अनु. क्र.१५ मधील शासन निर्णय, आविवि दि.२५.०४.२०२३ अन्वये गठीत केलेल्या संबंधित जिल्हाच्या पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीस राहिल. तसेच सदर शासन निर्णयान्वये देण्यात आलेल्या उद्दिष्टांमध्ये जिल्ह्यातील तालुक्यांमध्ये वितरण करताना त्या जिल्ह्यातील एखाद्या तालुक्यात पात्र लाभार्थी उपलब्ध नसल्यास त्या तालुक्याचे उद्दिष्ट त्या जिल्ह्यांतर्गत पुनर्वितरीत करण्याचे अधिकारही या समितीस राहतील.
 ७. संदर्भाधीन शासन निर्णयातील तरतूदी विचारात घेऊन घरकुलांचे बांधकाम दर्जेदार आणि चालू आर्थिक वर्षात पूर्ण होईल याची दक्षता घेण्याबरोबर प्रगतीचा अहवाल दर तीन महिन्यांनी न चुकता आयुक्त, आदिवासी विकास आणि संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष यांनी एकत्रित रित्या शासनास सादर करावा.
 ८. घरकुलावर वाचा येथील अनु. क्र.१४ मधील शासन निर्णयात नमूद केल्यानुसार बोधचिन्ह लावण्यात यावे.
२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आला असून, त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२३०६०२११४७०२१६२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने,

(सतिश कोवे)

कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन

प्रति,

- १) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई.
- २) मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई.
- ३) मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई.

- ४) मा. विरोधी पक्षनेता विधानपरिषद विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई.
- ५) मा. उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई.
- ६) मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई.
- ७) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. ८) मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई.
- ९) मा. मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव मंत्रालय, मुंबई-३२.
- १०) मा. सर्व मंत्री, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई.
- ११) मा. विधानसभा / विधान परिषद, सदस्य सर्व
- १२) मुख्य सचिव, यांचे उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई
- १३) अ.मु.स./प्र.स./ सचिव, विभाग सर्व, मंत्रालय मुंबई.
- १४)सर्व विभागीय आयुक्त.
- १५) आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. (१८) सर्व संबंधित जिल्हाधिकारी.
- १६) अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, ठाणे/नाशिक/अमरावती/नागपूर
- १७) सर्व संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद.
- १८) संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष-ग्रामीण गृहनिर्माण, बेलापूर.
- १९) सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प.
- २०) सर्व प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा.
- २१) अवर सचिव (का-६), (अर्थसंकल्प) आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई
- २२) निवड नस्ती / (का-०८), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई.

आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय क्र. आविवि-०४२३/प्र.क्र.८१/का-८, दि. ०२/०६/२०२३ सोबतचे
परिशिष्ट

| अ.क्र. | जिल्ह्याचे नाव | एकात्मिक प्रकल्प | आदिवासी विकास | सन २०२३-२४ वर्षासाठी अपेक्षित लक्षांक |
|--------|----------------|---------------------|------------------|--|
| १ | नाशिक | कळवण | | ३००० |
| | | नाशिक | | ५००० |
| | | | एकूण | ८००० |
| २ | अहमदनगर | राजूर | | २००० |
| | | | एकूण | २००० |
| ३ | ठाणे | शहापूर | | २००० |
| | | | एकूण | २००० |
| ४ | पालघर | डहाणू | | १२७५ |
| | | जव्हार | | २९४७ |
| | | | एकूण | ४२२२ |
| ५ | रायगड | पेण | | २६३९ |
| | सिंधुदुर्ग | | | ० |
| | रत्नागिरी | | | २ |
| | | | एकूण | २६४१ |
| ६ | पूणे | घोडेगाव | | १८६४ |
| | कोल्हापूर | | | १० |
| | सातारा | | | १० |
| | सांगली | | | ० |
| | | | एकूण | १८८४ |
| ७ | सोलापूर | सोलापूर | | १०० |
| | उस्मानाबाद | | | १२५ |
| | | | एकूण | २२५ |
| ८ | जळगाव | यावल | | ५००० |
| | | | एकूण | ५००० |
| ९ | नंदुरबार | नंदुरबार | | १२००० |
| | | तळोदा | | १२००० |
| | | | एकूण | २४००० |
| १० | धुळे | धुळे | | ५७०९ |
| | | | एकूण | ५७०९ |

| | | | |
|------|----------|-----------|------|
| ११ | नांदेड | किनवट | ३००० |
| एकूण | | | ३००० |
| १२ | हिगोली | कळमनुरी | ५००० |
| | परभणी | | १००० |
| एकूण | | | ६००० |
| १३ | अमरावती | धारणी | ७९०६ |
| एकूण | | | ७९०६ |
| १४ | अकोला | अकोला | ६०० |
| | बुलढाणा | | १५०० |
| | वाशिम | | ७०० |
| एकूण | | | २८०० |
| १५ | यवतमाळ | पांढरकवडा | ४००० |
| | | पुसद | ५०० |
| एकूण | | | ४५०० |
| १६ | औरंगाबाद | औरंगाबाद | ३९३६ |
| | जालना | | १७९४ |
| | लातूर | | ६३६ |
| | बीड | | ११७९ |
| एकूण | | | ७५४५ |
| १७ | नागपूर | नागपूर | ५००० |
| एकूण | | | ५००० |
| १८ | वर्धा | वर्धा | ५०० |
| एकूण | | | ५०० |
| १९ | गोंदिया | देवरी | १५०० |
| एकूण | | | १५०० |
| २० | भंडारा | भंडारा | १२२६ |
| एकूण | | | १२२६ |
| २१ | चंद्रपुर | चंद्रपुर | ७५०० |
| | | चिमूर | ११६६ |
| एकूण | | | ८६६६ |

| | | | |
|------|----------|----------|--------|
| २२ | गडचिरोली | गडचिरोली | २००० |
| | | अहेरी | ४५० |
| | | भामरागड | ३२५ |
| | एकूण | | २७७५ |
| एकूण | | | १०७०९९ |

(सतिश कोवे)
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन